न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉं, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 59/2023

1. श्री देवीलाल उर्फ दोलतराम पिता हेमराज नायक, उम्र 33 वर्ष निवासी माध्याखेडी तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

................वादी

बनाम

1. श्रीमती अनिता पत्नि सागरमल जाति नायक उम्र वयस्क निवासी माध्याखेडी तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ, राज.।
2. श्री कन्हैयालाल पिता सागरमल जाति नायक उम्र वयस्क निवासी माध्याखेडी तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ, राज.।
3. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि रामा जाति नायक उम्र वयस्क निवासी माध्याखेडी तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ, राज.।
4. सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ता :– वादी स्वयं

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 21.09.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम माध्याखेडी, पटवार हल्का, केली की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 2 में आराजी नम्बर 363 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं [illegible] 364 रकबा 2.41 हैक्टेयर भूमि वादी देवीलाल पिता हेम[illegible] रिकार्ड है। पूर्व में उक्त आराजियात वादी के पिता हेमराज के नाम [illegible] वादी के हेमराज की मृत्यु के उपरांत विरासत के नामान्तरण [illegible] वादी का घर का नाम [illegible] पिता हेमराज दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम दौलतराम है। वादी के आधार कार्ड, जनआधार, राशनकार्ड, वोटर आईडी आदि दस्तावेजों में वादी का नाम दोलतराम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के अन्त में वादी ने राजस्व रिकार्ड में उसका नाम देवीलाल के बजाय दोलतराम दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया। वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested

देवीलाल बनाम अनिता
प्रकरण संख्या 59/2023
निर्णय दिनांक : 21.09.2023

उक्त वाद मंहगाई राहत केम्प एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर मुकाम ग्राम पंचायत केली में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केम्प स्थल ग्राम पंचायत केली पर ही वादी के वाद में अंकित तथ्यों के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला से मजमेआम में जांच करवाई गई। भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला ने मजमेआम में पर्चा मौका तैयार किया गया जिसमें उपस्थित मौतबिरान/ग्रामवासियान केली एवं अन्य उपस्थित ने बताया कि श्री हेमराज की मृत्यु उपरांत विरासत से वादी के घर का बोलता नाम देवीलाल पिता हेमराज दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम दोलतराम है। पर्चा मौका शामिल पत्रावली किया गया। ग्राम माध्याखेडी की आराजी नम्बर 363 एवं 364 के सहखातेदार दुर्गा पुत्री सागरमल नायक एवं अनिता पत्नि सागरमल नायक के बयान दर्ज किये गये। इन्होंने अपने बयान में बताया कि वे वादी को जानते, पहचानते हैं एवं वादी का विरासत से नाम देवीलाल दर्ज हो गया हैं जबकि उसका वास्तविक नाम दोलतराम है। प्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई। वादी ने साक्ष्य स्वरूप मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। वादी द्वारा 50 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया हैं कि वादी का वास्तविक नाम दौलतराम पिता हेमराज है और यही नाम वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आईडी आदि दस्तावेजों में दर्ज है। किन्तु ग्राम माध्याखेडी की जमाबंदी की खाता संख्या 2 में दर्ज आराजी नम्बर 363 एवं 364 में वादी के घर का नाम देवीलाल दर्ज हो गया है। दोलतराम व देवीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति वादी के है। अतः उक्त जमाबंदी की खाता संख्या 2 में वादी ने अपना नाम देवीलाल के बजाय दोलतराम किये जाने का निवेदन किया।

3. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी स्वयं की बहस पर मनन किया। मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों के संग अभि[illegible] 2023 केम्प स्थल ग्राम पंचायत, केली में दिनांक 06.05.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक, गादोला [illegible] मज[illegible]म में बनाये गये पर्चे मौके का अवलोकन किया गया। पर्चा मौका से स्पष्ट होता [illegible]क वादी का वास्तविक नाम दोलतराम है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या एफ.जे.जे./19880[illegible], आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड संख्या सी.के.यू.पी.एन.2709पी, आधार कार्ड संख्या 891000985732, राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन–आधार कार्ड संख्या 4871142451, राशन कार्ड संख्या 00023 में वादी का नाम दोलतराम पिता हेमराज दर्ज रिकार्ड है। साथ ही प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.05.2023 को 50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested

देवीलाल बनाम अनिता
प्रकरण संख्या 59 / 2023
निर्णय दिनांक : 21.09.2023

शपथपत्र में भी वादी ने स्वयं का वास्तविक नाम दोलतराम पिता हेमराज होना अंकित किया है। माध्याखेडी की जमाबंदी की खाता संख्या 2 में दर्ज आराजी नम्बर 363 एवं 364 के सह खातेदारान दुर्गा पिता सागरमल नायक एवं अनिता पत्नि सागरमल नायक द्वारा दर्ज करवाये गये बयान का अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने वादी का वास्तविक नाम दोलतराम पिता हेमराज होना अंकित किया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, भू–अभिलेख निरीक्षक गादोला के पर्चा मौका, वादी के शपथ पत्र एवं सह खातेदारों के बयान के अवलोकन उपरांत वादी के वादपत्र में अंकित तथ्य साबित होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है ग्राम माध्याखेडी, पटवार मण्डल, केली की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 2 में दर्ज आराजी नम्बर 363 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 364 रकबा 2.41 हैक्टेयर में वादी का नाम देवीलाल पिता हेमराज 44 / 241 नायक के बजाय दोलतराम पिता हेमराज 44 / 241 नायक का नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

21/9/23
(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:00 IST
Reason: SelfAttested